**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.**
पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

**अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 19/2019 दायर तारीख 09-08-2019**

1. मैंना उर्फ बिदाम पत्नी शंकरराम जाति बावरी निवासी बरनेल तह. परबतसर

*––: अपीलान्ट*

*बनाम*

1. तहसीलदार , परबतसर
2. सरंपच ग्राम पंचायत गूलर
3. भू. अभिलेख निरीक्षक जवाला
4. पटवारी हल्का गूलर

–– रेस्पोडेन्टस

**अपील बाबत :– नामान्तकरण संख्या 476 पर ग्राम पंचायत गूलर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2008 के विरूद्ध, अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट**

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान वकील अपीलान्ट

**निर्णय**

**निर्णय दिनांक :– 26.11.2019**

1. अपीलार्थी मैना उर्फ बिदामी देवी ने यह अपील जरिये अभिभाषक श्री गजराज चौहान पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम बरनेल की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 241/1 रकबा 0.3200 हैक्टयर जमीन स्थित हैं जिसके पुराने खसरा नम्बर 144, 116 हैं अपीलान्ट ने नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की हैं जिसमें अन्य हितबद्ध व्यक्ति जिनका नामान्तकरण साथ में भरा गया था उनको पक्षकार नही बनाया गया हैं तथा न ही कोई अनुतोष हितबद्ध व्यकितयों के विरूद्ध मांगा हैं क्योंकि अपीलान्ट केवल नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की है। सम्पूर्ण नामान्तकरण कानुनी रूप से सही भरा गया हैं, केवल मात्र नामा दुरूस्ती हेतु नामान्तकरण अपील पेश की है। अपीलान्ट के तमाम दस्तावेज परिवार राशन कोर्ड, आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , आदि में अपीलान्ट का नाम मैंना पत्नी शंकरराम हैं गांव बरनेल में बिदाम पत्नी शंकरराम नाम की तथा मैना पत्नी शंकरराम नाम की अन्य कोई महिला नहीं हैं दोनों नामा की एक ही महिला हैं जो दोनो नामें से जानी पहचानी जाता हैं। अपीलान्ट का

26/11/19

ग्राम बरनेल के उपरोक्त खसरा नम्बर 241/1 की भूमि में राजस्व कर्मचारीयों की गलती से रामाराम पुत्र मनरूप अंकित हुआ हैं जबकि अपीलान्ट का सही नाम रामेश्वरलाल पुत्र मनरूप है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया हैं कि नामान्तकरण संख्या 476 ग्राम बरनेल को इस हद तक संशोधन फरमावें कि अपीलान्ट का बिदाम देवी पत्नी शंकरराम के स्थान पर मैना पत्नी शंकरराम की रिकार्ड दुरूस्ती हेतु आदेश फरमावें।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रमाण पत्र पेश किया है। रेस्पोडेन्ट 1, 3, 5 स्वंय उपस्थित हुऐ जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। तर्क दिया हैं कि उक्त अपील सरपंच द्वारा स्वीकार नामान्तकरण के विरूद्ध पेश की गई हैं। जिसको अपीलार्थी स्वंय द्वारा साबित करना हैं। जिसमें कोई राजहित निहित नहीं है।

3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रमाण पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि नामान्तकरण संख्या 476 कॉलम संख्या 14 में अंकित बैचान के अनुसार हीरकी बेवा अपना स्म्पूर्ण 1/6 हिस्सा बैचान करने पर क्रेतागण के पक्ष में दर्ज किया जाकर भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर नायब तहसीलदार परबतसर द्वारा स्वीकृत किया गया है।

4. नामान्तकरण संख्या 476 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2073–76 वर्तमान आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, जोब कार्ड, बैचान दस्तावेज की प्रति पेश की हैं।

5. बहस अधिवक्ता अपीलान्ट की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस में जाहिर किया हैं कि अपीलान्ट को ग्राम में दो नामों से जानी जाती हैं। जिससे नामान्तकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम बिदामी देवी दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट का सही नाम मैनादेवी है। अपीलन्ट के सभी दस्तावेजों में नाम मैना देवी दर्ज है, नामान्तकरण दर्ज करते समय त्रुटि की गई हैं जो दुरूस्त योग्य है।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 476 के अनुसार गत खसरा नम्बर 114, 116 के खातेदार खातेदार हीरकी बेवा देवीड़ा कौम बावरी द्वारा अपने 1/6 हिस्से का रजिस्ट्रर्ड बैचान करने पर क्रता केलकीदेवी पत्नी जयराम बिदामीदेवी पत्नी शंकरराम बावरी के नाम दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण बैचान

26/11/19

दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया हैं। बैचान दस्तावेज की छाया प्रति पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा पेश की गई हैं। बैचान दस्तावेज में भी अपीलान्ट का नाम बिदामीदेवी क्रेता के रूप में अंकित है। तत्पश्चात नायब तहसीलदार परबतसर द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है।

7. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 476 फौतगी नामान्तकरण नहीं हो कर बैचान दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया हैं बैचान दस्तावेज में अपीलान्ट का नाम बिदामी देवी पत्नी शंकरराम दर्ज हैं। जिससे स्पष्ट हैं कि नामान्तकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। नामान्तकरण भी नायब तहसीलदार परबतसर द्वारा स्वीकृत किया गया है। बैचान दस्तावेज एवं नामान्तकरण के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि नामान्तकरण में त्रुटिवंश नाम गलत अंकित नहीं पाया जाता हैं। अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तकरण दर्ज होने में किसी प्रकार की त्रुटि सिद्ध करने में असफल रहा हैं तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में दर्ज सुदा नामान्तकरण नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत सुदा हैं, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं हैं तथा अपीला के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया हैं नामान्तकरण 08.04.2008 को स्वीकृत किया गया हैं तथा अपील दिनांक 09.08.2019 को पेश की हैं, जो मयाद बाहर हैं तथा दर्ज नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि अपीलान्ट द्वारा सिद्ध नहीं की जाने के कारण अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

## आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं होने व मयाद बाहर होने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अभाव में मयाद बाहर होने व दर्ज नामान्तकरण किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं। यह आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/19

(मुकेश कुमारि मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर